रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29—ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स 0755 2551795
Email - dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक 11038 /माइनिंग प्लान सेल—5/न.क्र.12/2018 भोपाल, दिनांक 3/7/18

प्रति,

मेसर्स एम.के. मिनरल्स
प्रो. श्री शैलेन्द्र कुमार माधवराव कावले
निवासी —वार्ड नं. 28 स्नेह नगर
जिला बालाघाट— 481445

विषयः— मेसर्स एम.के. मिनरल्स को जिला बालाघाट तहसील तिरोडी ग्राम कोयलारी के खसरा क्रमांक 27/1 रकबा 8.100 हे. क्षेत्र पर डोलोमाईट खनिपट्टा के, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 अन्तर्गत प्रस्तुत खनन स्कीम अनुमोदन बाबत।

खनिपट्टाधारक श्री एम.के. मिनरल्स प्रो. श्री एम.एल. कावले निवासी ग्राम सुकली तहसील तिरोडी जिला बालाघाट के पक्ष मे जिला बालाघाट तहसील तिरोडी ग्राम कोयलारी के खसरा क्रमांक 27 भाग, रकवा 20.00 एकड (8.100 हे.) क्षेत्र, खनिज डोलेमाईट का खनिपट्टा अनुबन्धित अवधि 06.06.1975 से 05.06.1995 तक) अवधि 20 (बीस) वर्ष के लिये स्वीकृत था। जो विभागीय आदेश क्रमांक 3—58/75/12 दिनांक 20.05.1975 से स्वीकृत किया गया था। मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ—19—5/2015/12—1 भोपाल दिनांक 12.03. 2015 के अन्तर्गत कलेक्टर बालाघाट के आदेश 16.11.2017 द्वारा, उक्त खनिपट्टे की मूल अवधि मे 50 वर्ष हेतु दिनांक 05.6.2025 तक की समयावृद्वि की गई है। आर.क्यू.पी. श्री आर.के. चौबे द्वारा अनुमोदन हेतु खनन स्कीम प्रस्तुत की गई है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रस्तुत खनन स्कीम का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

1) इस खनन स्कीम का अनुमोदन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर लागू किये गये कानूनों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।

2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस खनन स्कीम के अनुमोदन में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 अथवा खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 सहित दूसरे अन्य कानूनों के किन्हीं अन्य प्रावधानों के लिए किसी भी प्रकार से सरकार का अनुमोदन समाविष्ट नहीं होता है।

3) इस खनन स्कीम का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य आदेश या निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।

4) आपका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक 202, दिनांक 12.12.1996 की ओर अनुपालन हेतु आकर्षित किया जाता है। अतः इस खनन स्कीम का अनुमोदन माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।

निरन्तर—

5) a) Provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and/Regulations made there under including submission of notice of opening, appointment of Manager and other statutory order as required by Mines Act, 1952 shall be complied with.

b) The execution of Scheme/plan of Mining shall be subject to vacation of prohibitory orders/notices, if any.

c) If any things is found to be concealed as required by the Mines Act in the contents of the mining scheme and the proposal for rectification has not been made, the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.

6) Yearly report as required under Rule-42 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule, 1996 setting forth the extent of protection and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan and if there any deviation reasons thereof shall be submitted before 1st July of every year to the concerned Collector and Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh.

7) If any, financial assurance submitted by you as per earlier existing Rule (MCDR, 1988) with IBM is required to be transferred to concern Collector for statutory compliance as per Rule, 1996.

8) At any stage, if it is observed that the information furnished in the document are incorrect or misrepresented facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.

9) The scheme of mining will be due for submission on 120 days before the completion of period of this Plan.

10) The approval is given for the received proposals as applicable from this date.

11) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के अनुसार खान में खनन कार्य अनुमोदित खनन स्कीम के अनुसार किया जाये, इस हेतु खान मालिक खनन स्कीम की एक प्रति अपनी खान पर स्थित कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखेगा साथ ही खान के खनन अभियंता, खान प्रबंधक या अन्य कोई जवाबदार व्यक्ति जो कि खान से संबंधित समस्त कार्यों का प्रभारी हो, को उसके दिन प्रतिदिन क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगा, जिससे खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप किया जा सके।

12) This approval is restricted in respect of proposal given in the document for the period from 2018-2019 with validity upto 2019-2020 from the date of approval.

13) As per Madhya Pradesh State Government's order dated 10/08/2011 if there is enhancement of production proposed from that in the approved mining plan. Under such circumstances additional stamp duty has to be paid by the lessee for the enhanced quantum of production and also a supplementary agreement has to be made by the lessee.

14) a) Since the lease area is more than 05 hectare the Environment Impact Assessment provision shall be applicable as per notification dated 14-09- 2006 issued by MoEF.

b) A copy of consent/permission issued under above notification shall be submitted to this office as well as office of the concerned Collector immediately after approval by authority.

15) खनन योजना/स्कीम में खनिजों के उत्खनन हेतु दर्शाई गई मात्रा, ई.सी. में उल्लेखित अनुमोदित मात्रा तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदाय की गई अनापत्ति में दर्शाई गई मात्रा में से जो न्यूनतम मात्रा हो, का उत्पादन किया जायेगा।

16) स्वीकृत क्षेत्र के समस्त corner points के अक्षांश एवं देशांश नक्शों में अंकित किये जाने उपरांत ही अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावे।

निरन्तर---

17) उपरोक्तानुसार अनुमोदित खनन स्कीम की तीन प्रतियाँ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है, कि एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नः अनुमोदित खनन स्कीम की 03 प्रतियाँ।

संचालक

पृ. क्रमांक /माइनिंग प्लान सेल–5/न.क्र. 12/2018 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1 कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालाघाट (म.प्र.)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 श्री आर.के. चौबे (आर.क्यू.पी.), निवासी– 1254 विवेकानन्द वार्ड दयानगर जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक